

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 45(1)साप्र/2/16

--: आदेश :-

जयपुर, दिनांक 24 NOV 2017

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी एच श्रेणी में वरियता संख्या एवं मांग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाते हैं:-

क.सं.	वरियता संख्या	नाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित राजकीय आवास संख्या
1.	11/2002	श्रीमती चम्पा जोशी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपायुक्त (प्रशासन) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	30.11.2031	एच-565 गांधीनगर
2.	13/2002	श्री प्रहलाद राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कन्ट्रोलर राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर	31.8.2027	एच-914 गांधीनगर
3.	14/2002	श्री भीमसिंह सोलंकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपर परिवहन आयुक्त (प्र०) परिवहन विभाग, जयपुर	30.6.2033	एच-888 गांधीनगर
4.	16/2002	श्रीमती मीना पारीक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप सचिव (प्रशासन) राजस्थान विधानसभा, जयपुर	31.1.2020	एच-911 गांधीनगर
5.	17/2002	श्री सैय्यद मोहम्मद आजम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायाधीश मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, जयपुर	31.1.2039	एच-855 गांधीनगर
6.	18/2002	श्री बंदी प्रसाद मीना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रभारी अधिकारी (संस्थापन) जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	30.4.2023	एच-542 गांधीनगर
7.	20/2002	श्री जगदीश प्रसाद हेल्पर कन्ट्रोलर राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर	31.12.2026	एच-562 गांधीनगर
8.	21/2002	श्री हजारी लाल यादव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अति. निदेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	31.8.2022	एच-899 गांधीनगर
9.	22/2002	श्री मिश्री लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रधानाध्यापिका राजस्थान बालिका माध्यमिक विद्यालय, जयपुर	31.3.2027	एच-592 गांधीनगर
10.	23/2002	श्री दीपक व्यास सुरक्षा प्रहरी उप सचिव (प्रशासन) राजस्थान विधानसभा, जयपुर	31.1.2027	एच-579 गांधीनगर
11.	24/2002	श्री हेमन्त कुमार चन्देला सुरक्षा प्रहरी उप सचिव (प्रशासन) राजस्थान विधानसभा, जयपुर	30.4.2026	एच-868 गांधीनगर
12.	25/2002	श्री राकेश सैन वार्ड ब्याय अति. अधीक्षक (प्रशासन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	28.2.2042	एच-887 गांधीनगर
13.	26/2002	श्री हेमराज महर्षि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अति. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	2027	एच-913 गांधीनगर
14.	27/2002	श्री जाकिर हुसैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रजिस्ट्रार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर	31.7.2029	एच-906 गांधीनगर

2.

15.	28/2002	श्री जीत बहादुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वितीय, जयपुर	2022	एच-536 गांधीनगर
16.	30/2002	श्रीमती संतोष देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर	31.8.2024	एच-586 गांधीनगर
17.	34/2002	श्री गिरधारी सिंह चौकीदार निदेशक पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, सब ई मानसिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर	31.7.2037	एच-890 गांधीनगर
18.	35/2002	श्री शंकर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अति. अधीक्षक (प्रशासन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.9.2047	एच-865 गांधीनगर
19.	37/2002	श्री विकास पारीक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय अधिवक्ता कार्यालय राजकीय अधिवक्ता, हाईकोर्ट, जयपुर	31.8.2037	एच-894 गांधीनगर
20.	38/2002	श्री प्रेम शंकर गौतम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रावैधिक सहायक कार्यालय वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर	30.4.2031	एच-668 गांधीनगर
21.	39/2002	श्री रमेश शर्मा (फरार्श) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन प्रथम, सिविल लाईन्स, जयपुर	30.4.2026	एच-904 गांधीनगर
22.	40/2002	श्री सुनील कुमार माथुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप निदेशक (प्रशासन) महिला एवं बाल विकास विभाग, जन पथ मार्ग, गांधीनगर, जयपुर	31.8.2028	एच-885 गांधीनगर
23.	41/2002	श्री शंकर मेहरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ग्रामीण, जयपुर	31.5.2028	एच-900 गांधीनगर
24.	42/2002	श्री गोपी चन्द्र शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सोमेशपुरी, जयपुर	1.1.2026	एच-548 गांधीनगर
25.	43/2002	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, विधि ब्लॉक-7, शिक्षा संकुल, जयपुर	31.7.2031	एच-903 गांधीनगर
26.	44/2002	श्री गुलाब सिंह रावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला आबकारी अधिकारी आबकारी निरोधक दल, जयपुर	25.4.2023	एच-660 गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
27.	42/1999	श्री बन्टी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-2/जनरल पुस्तकालय) शासन सचिवालय जयपुर	31.3.2040	एच-514 गांधीनगर
28.	40/2006	श्री अब्दुल वाहिद खाँ सहायक कर्मचारी कार्यालय प्रमुख शासन सचिव देवस्थान, कला एवं संस्कृति	31.1.2025	एच-659 गांधीनगर
29.	41/2006	श्रीमती शान्ती देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खेल एवं युवा मामले शासन सचिवालय, जयपुर	31.3.2019	एच-872 गांधीनगर
30.	32/2007	श्री प्रभाती लाल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2019	एच-86 गांधीनगर

31.	46/2007	श्री रामदयाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर्यटन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2023	एच-540 गांधीनगर
32.	2/2008	श्रीमती भूरी देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2025	एच-891 गांधीनगर
33.	15/2008	श्री कजोड़मल शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रमुख शासन सचिव सी.ए.डी. शासन सचिवालय, जयपुर	31.09.2045	एच-860 गांधीनगर
34.	17/2008	श्रीमती रतन देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या. शासन उप सचिव (प्रथम) जन स्वा. अभि. विभाग एवं भू जल विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2032	एच-656 गांधीनगर

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- उपायुक्त (प्रशासन) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- कन्ट्रोलर राजस्थान स्टेट मोटर गैराज जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- आर परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- उप सचिव प्रशासन राजस्थान विधानसभा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- प्रभारी अधिकारी (संस्थापन) जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- अति. अधीक्षक (प्रशासन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- रजिस्ट्रार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वितीय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

15. निदेशक, पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. अपर परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. राजकीय अधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
18. प्रावैधिक सहायक कार्यालय वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
19. अपर परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोन-प्रथम सिविल लाईन्स जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
21. उप निदेशक (प्रशासन) महिला एवं बाल विकास विभाग जन पथ मार्ग गांधीनगर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
22. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग जयपुर ग्रामीण जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
23. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनेशपुरी जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
24. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विधि ब्लॉक-7 शिक्षा संकुल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
25. जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
26. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
27. निदेशक,सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
28. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
29. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
30. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर जयपुर।
31. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
32. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
33. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
34. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
35. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चरमा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
36. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
37. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
38. रक्षित पत्रावली।


 उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि या उन पर आश्रित किसी सदस्य का नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर